

मध्य प्रदेश शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल - 462004

=====
=====

क्रमांक एफ 73-73/20-3/2003

भोपाल, दिनांक -

प्रति,

27/06/2003

✓ सचिव,

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
पृथि बिहार, नई दिल्ली ।

विषय :- अशासकीय मानसरोवर पब्लिक स्कूल कोलार रोड, भोपाल को
सी.बी.एस.ई. से सम्बद्धता हेतु एन.ओ.सी. देने बाबत ।

== 00 ==

राज्य शासन द्वारा अशासकीय मानसरोवर पब्लिक स्कूल कोलार
रोड, भोपाल को सी.बी.एस.ई. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति
प्रमाण-पत्र विशेष प्रकरण मानकर निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है :-

1. संस्था को अपनी कार्य समिति में एक प्रतिरक्षित प्रतिनिधि जिला
शिक्षा अधिकारी को स्वयं को या उनके प्रतिनिधि को शामिल
करना होगा तथा दूसरे प्रतिनिधि के रूप में माध्यमिक शिक्षा
मण्डल के पंजीयक उपरीक्षां को या उनके प्रतिनिधि को शामिल
करना अनिवार्य होगा ।
2. नीतिगत निर्णयों में इन दोनों मनोनीत सदस्यों को अमंत्रित
करना होगा ।
3. मध्यप्रदेश शासन द्वारा शिक्षा के प्रचार - प्रसार के लिए लिये
गये निर्णयों में यदि संस्था से किन्हीं कार्यों की अपेक्षा की जाती
है तो ऐसे कार्यों को संस्था को करना होगा ।
4. खेल कूद गतिविधियों में यदि संस्था चाहे तो सदस्यता ग्रहण कर
सकता है, परन्तु ऐसा न होने पर भी यदि म०प्र० शासन, स्कूल
शिक्षा विभाग को इनके किसी खेल परिसर या भवन की आवश्यकता
पड़ती है तो उपलब्ध कराना होगा ।

पृष्ठांचल

50. राष्ट्रीय कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए यदि संस्था या भवन या स्टॉफ की सेवाओं की आवश्यकता होगी तो उन्हें उपलब्ध कराना होगा।

मध्यप्रदेश छात्र के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


~~म० प्र० एल० आय० २२६००३~~

अबर सचिव

म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृष्ठा 73-73/20-3/2003

भोपाल, दिनांक -

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण, म०प्र० भोपाल।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला भीपाल।
3. प्रचार्य, अशोक मानसरोवर पञ्चिलक स्कूल कोलार रोड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है।


अबर सचिव

म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग